

छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर-492002


//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 15.02.2017

क्रमांक एफ 10-9/2017/वा0क0(आब0)/पांच (04) ::: छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, प्रदेश के छबिगृहों में हिन्दी फीचर फिल्म "हिन्द का नापाक को जवाब"- MSG LION HEART-2" के प्रदर्शन को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) की प्रभावशीलता से 6 माह (छःमाह) की अवधि के लिये इस शर्त के साथ छूट प्रदान करता है कि छबिगृह स्वामी द्वारा उक्त फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व से प्रचलित प्रवेश दर को उस सीमा तक ही कम किया जायेगा, जितनी कि छूट प्रदान की गई है।

2/ यह छूट इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(ए0पी0त्रिपाठी)  
विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक 15.02.2017

क्रमांक एफ 10-9/2017/वा0क0(आब0)/पांच (04) ::: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-9/2017/वा0क0(आब0)/पांच (04), दिनांक 15.02.2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(ए0पी0त्रिपाठी)  
विशेष सचिव

**Government of Chhattisgarh**  
**Commercial Tax (Excise) Department**  
**Mantralaya**  
**Mahanadi Bhawan, Naya Raipur-492002**


**// NOTIFICATION //**

Naya Raipur, Dated 15.02.2017

No. F 10-9/2017/CT(Ex)/V (04) ::: In exercise of the powers conferred by section 7 of Chhattisgarh Entertainments Duty And Advertisements Tax Act 1936 (No. 30 of 1936), the State Government hereby exempts the exhibition of the Hindi Feature Film "HIND KA NAPAK KO JAWAB- MSG LION HEART-2" in the Cinema halls of State from the applicability of Sub-Section (1) of the section 3 of said Act for a period of 6 months (Six months), subject to condition that proprietor of cinema hall shall reduce the rate of admission prevailing prior to the exhibition of this film to the extent of exemption granted.

2/ This exemption will be effective from the date of issue of this Notification.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,



(A.P. Tripathi)  
**Special Secretary**